



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276416
CG-DL-E-23092026-276416

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5000]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भाद्र 31, 1948

No. 5000]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2026

का.आ. 5206(अ).—केंद्रीय सरकार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की प्रथम अनुसूची के तीसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्टूबर, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिससे और जब से गुजरात राज्य में 15 गैर-कार्यान्वित जिलों, अर्थात् अमरेली, अरावली, बनासकांठा, बोटाद, छोटा उदेपुर, दाहोद, डांग, देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ, कच्छ, महीसागर, नर्मदा, पाटन, तापी, वाव-थराद के संपूर्ण क्षेत्रों में और 16 आंशिक रूप से कार्यान्वित जिलों, अर्थात् अहमदाबाद, आणंद, भरूच, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेडा, मेहसाणा, मोरबी, नवसारी, पंचमहल, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेंद्रनगर के संपूर्ण क्षेत्रों में स्थित ऐसे स्थापनों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों से अंशदान धारा 29 के अधीन देय होगा और कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित अध्याय 4 के अधीन कोई भी लाभ निगम द्वारा ऐसे स्थापनों के कर्मचारियों को प्रदान किए जाएंगे।

[फा. सं. एस-38013/21/2023-एसएस-1]

आशुतोष ए.टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव